



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 4904/2025

1. Harlal S/o Sakram, Aged About 72 Years, R/o Village Santhali, Tehsil Deoli, District Tonk (Rajasthan).
2. Smt. Kamla Devi W/o Harlal, Aged About 70 Years, R/o Village Santhali, Tehsil Deoli, District Tonk (Rajasthan).

----Claimants/Appellants

Versus

1. Shahid S/o Abdul Sattar R/o Gurunanak Colony, Vikas Nagar, Bundi, Police Station Kotwali Bundi, District Bundi (Rajasthan)
...Driver Of Dumper No. RJ08-GA-6893
2. Imran Khan S/o Kayamuddin, R/o Near Harijano Ki Tunti, Ward No. 24, Brahmpuri, Bundi (Rajasthan).
....Owner Of Dumper No. RJ08-GA-6893
3. New India Insurance Company Limited, 7, Civil Lines Road, Sawaimadhopur.

-----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	: Mr. Amit Sharma, Adv.
For Respondent(s)	: Mr. Tripurari Sharma, Adv. with Mr. Bhupendra Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत सिविल विविध अपील संख्या-4904/2025 को प्रस्तुत करने में हुए 49 दिवस के विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र संख्या-2182/2025, अन्तर्गत धारा-5 परिसीमा अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए हस्तगत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए 49 दिवस के विलम्ब को क्षमा किया जाता है।
2. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा-173 मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत न्यायालय न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा



अधिकरण, टॉक (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या-420/2022, हरलाल व अन्य बनाम शाहिद व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 11.06.2025/संशोधित आदेश दिनांक 01.07.2025** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय/आदेश' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में **रामरतन** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,83,60,000/- रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **10,96,283/- रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 07 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

4. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए **8,034/- रुपये** प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से संस्थित की गयी अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक **18.06.2022** की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक रामरतन को पटेल



इंफ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लिमिटेड में मशीन ऑपरेटर का कार्य कर प्रतिमाह 30,000/- रुपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिकरण के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को कुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर वर्ष 2023 में प्रचलित कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 309/- रुपये के आधार पर मृतक की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 8,034/- रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। घटना वर्ष 2022 में घटित होना बताया गया है। वर्ष 2022 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। वर्ष 2021 के पश्चात् वर्ष 2023 में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2021 में कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 283/- रुपये तथा वर्ष 2023 में 309/- रुपये रही है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए वक्त घटना मृतक की दैनिक आय 290/- रुपये, तदनुसार मासिक आय $290 \times 30 = 8,700/-$ रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझता है। वक्त घटना मृतक को 36 वर्ष आयु का होना बताया गया है। चूंकि मृतक 36 वर्ष आयु का स्वनियोजित व्यवसायी था। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य रिपोर्टेड इन (2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए मृतक की निर्धारित मासिक आय 8,700/- रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 40 प्रतिशत अर्थात् 3,480/- रुपये की बढ़ोतरी की जाकर मृतक की कुल शुद्ध मासिक आय 12,180/- रुपये निर्धारित की जाती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

8. वक्त घटना मृतक अविवाहित था। ऐसी स्थिति में मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में $1/2$ भाग की कटौती किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार 12,180/- रुपये का $1/2$ भाग 6,090/- रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि



6,090/— रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 36 वर्ष निर्धारित की गयी है। ऐसी स्थिति में सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य रिपोर्टेड इन (2009) 6 एस.सी.सी. 121 तथा प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 15 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

9. तदनुसार मृतक की निर्धारित आय 6,090/— रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की कुल क्षति $6,090 \times 12 \times 15 = 10,96,200/—$ रुपये होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 48,000/— रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त) व यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य रिपोर्टेड इन (2021) 11 एससीसी 780 व अन्य न्यायिक दृष्टांत मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहू राम व अन्य रिपोर्टेड इन (2018) 18 एससीसी 130 के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/— रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि प्रणय सेठी (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार मृतक के आश्रितगण को कंसोर्टियम की मद में, अंतिम संस्कार व सम्पदा की हानि के मद में दी जाने वाली निर्धारित राशि में प्रत्येक 03 वर्ष में 10 प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी किये जाने का आदेश दिया गया है। इसलिए इस मामले में भी उक्त मदों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे।

12. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2022 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त) व नानू राम उर्फ चुहू राम (उपरोक्त) के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की



तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक पिता व माता, अपीलार्थी संख्या-1 व 2 प्रत्येक को "फिलियल कंसोर्टियम" की मद में 44,000/- रुपये (कुल 88,000/- रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 18,000/- रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 18,000/- रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो अधिक है। अतः उपरोक्त मदों में हम, **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार देय निर्धारित राशि पर दस प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 16,500-16,500/- रुपये (कुल 33,000/- रुपये) की राशि अपीलार्थीगण को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

14. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :-

क्रम सं.	शीर्ष/मद	इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रुपये में)
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	10,96,200/-
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 88,000/-
3.	अंतिम संस्कार के मद में	16,500/-
4.	सम्पदा की हानि के मद में	16,500/-
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		12,17,200/-
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (-)		10,96,283/-
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		1,20,917/-

15. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **10,96,283/- रुपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **12,17,200/- रुपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

16. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

17. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।



18. सभी लम्बित प्रार्थना-पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /97-S